मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रकुल दिवस पर अध्यक्षीय संदेश

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि आज "राष्ट्रकुल दिवस" है. प्रतिवर्ष मार्च माह का यह दूसरा सोमवार राष्ट्रकुल देशों में "राष्ट्रकुल दिवस" के रूप में मनाया जाता है. यह दिवस राष्ट्रकुल के सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहभागिता, सदभाव, मैत्री और बंधुत्व की भावना का प्रतीक है. राष्ट्रकुल देशों की विधायिकाएं भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ के बैनर तले एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोकतंत्र के उन्नयन के लिए सतत् रूप से कार्य कर रही हैं. मध्यप्रदेश विधान सभा भी राष्ट्रकुल संसदीय संघ की सदस्य है एवं संसदीय कार्य पद्धति में नवाचारों, प्रयोगों तथा सुझावों के द्वारा महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही है.

इस वर्ष "राष्ट्रकुल दिवस" की विषयवस्तु "साझा भविष्य की ओर" है. राष्ट्रकुल देशों द्वारा संसाधनों, ज्ञान और अनुभव को परस्पर बांटने, आपस में विचार करके सहयोगात्मक प्रयास करने और मिलकर लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा से ही सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है. यह समयोचित है कि राष्ट्रकुल के सभी देश अपनी क्षमतानुसार अपने नागरिकों को एक बेहतर भविष्य की राह दिखाएं अपितु अन्य देश भी इसमें साझेदारी करें.

आज राष्ट्रकुल सहित विश्व के समस्त देशों के बीच परस्पर संबंध, सौहार्द और संवाद रखना अत्यावश्यक है ताकि उभरते परिदृश्यों व चुनौतियों के बीच वे सामूहिक प्रयास करते हुए अपनी उपलब्धियों और कठिनाइयों को साझा कर सकें. पृथ्वी तेजी से एक विश्वग्राम में बदल रही है और वर्तमान में किसी भी लक्ष्य या उपलब्धि का कोई एकल उपाय खोजना कठिन है. इसलिए लक्ष्य भी साझे हो रहे हैं और उपलब्धियां भी. ऐसे परिदृश्य में हमें राष्ट्रकुल तथा विश्वकुल के प्रत्येक सदस्य को अपना मानना होगा, उसकी चिंता अपनी चिंता समझनी होगी और उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करना होगा.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 एवं 24) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 171 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 198 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. विशेषाधिकार भंग की सूचना एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा श्री जितू पटवारी, सदस्य के विरुद्ध

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मुझे श्री यशपाल सिंह सिसौदिया एवं अन्य माननीय सदस्यों की ओर से मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 165 के अंतर्गत सदस्य श्री जितू पटवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है. श्री सिसौदिया एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विषय नियमानुकूल हैं. अत: मैं नियमावली के नियम 167 (1) के अंतर्गत श्री सिसोदिया को विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूँ.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने इस पर मत व्यक्त किया -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (भाषण अपूर्ण)

व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.09 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.30 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (भाषण पूर्ण)
(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री
(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी (भाषण अपूर्ण)

व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.42 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 1.01 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(3) श्री सुन्दरलाल तिवारी (भाषण पूर्ण)
(4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री
(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री
(7) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - "सभी सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं उक्त सूचना को जांच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूँ."

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की ग्राम पथरिया जाट एवं भैषा में नलजल योजनाओं की स्वीकृति देने,
(2) डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधान सभा के अतंर्गत जनपद पंचायत पिपलोदा का भवन जीर्ण क्षीर्ण होने,
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज तहसील में म.प्र.ग्रा.स विकास प्राधिकरण का कार्यालय दूर होने
(4) पं.रमेश दुबे, सदस्य की शासकीय हाईस्कूल घोराड़ विकासखण्ड बिछुआ में शाला भवन क्षतिग्रस्त होने,
(5) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संविदा हैंडपम्प टेक्निशियन को न्यूनतम वेतन दिये जाने,
(6) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की ग्राम बुढ़वालर,ढेह, चिन्नोती, बदरपुरा पंचायतों के बिजली के तार टूटे होने,
(7) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की कन्नौद-आष्टा पचोर राज्य मार्ग क्र-41 क्षतिग्रस्त होने,
(8) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की सिरोंज क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़कों का निर्माण न होन,
(9) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की प्रदेश के पेंशनधारियों को पेंशन की राशि न मिलने,
(10) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य की चित्रकूट के मझगंवा में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण किये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

(अपराह्न 1.31 से अपराह्न 3.07 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, भोपाल का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने एन.एच.डी.सी.लिमिटेड की 17 वीं वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 पटल पर रखी.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 को सम्पन्न हुई, जिसमें वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये आवंटित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या, सेवा या प्रशासन जिससे मांग संबंधित है, का विवरण	निर्धारित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 65- विमानन 72- आनंद	2 घण्टे
2.	श्री जयंत मलैया, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर	(वित्त को छोड़कर) 30 मिनिट
3.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	30- ग्रामीण विकास 34- सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 53- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत	2 घण्टे
4.	डॉ. गौरीशंकर शेजवार, मंत्री	10- वन 31- योजना, आर्थिक और सांख्यिकी 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	1 घण्टा
5.	डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्री	23- जल संसाधन 28-राज्य विधान मण्डल 32- जनसंपर्क 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	2 घण्टे
6.	सुश्री कुसुम सिंह महदेले, मंत्री	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1 घण्टा
7.	कुंवर विजय शाह, मंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 40- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा

8.	श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1 घण्टा 30 मि.
9.	श्री रुस्तम सिंह, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घण्टा
10.	श्री ओम प्रकाश धुर्वे, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
11.	श्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री	8- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 46- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2 घण्टे
12.	श्रीमती अर्चना चिटनिस, मंत्री	55- महिला एवं बाल विकास	1 घण्टा
13.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	43- खेल और युवक कल्याण 51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1 घण्टा
14.	श्री पारस चन्द्र जैन, मंत्री	12- ऊर्जा	1 घण्टा
15.	श्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री	11- उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 25- खनिज साधन 70- प्रवासी भारतीय	2 घण्टे
16.	श्री अन्तर सिंह आर्य, मंत्री	5- जेल 14- पशुपालन 16- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 71- पर्यावरण	1 घण्टा
17.	श्री रामपाल सिंह, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 29- विधि और विधायी कार्य 67- लोक निर्माण कार्य- भवन	2 घण्टे
18.	श्रीमती माया सिंह, मंत्री	22- नगरीय विकास एवं आवास 41- सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय 64- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1 घण्टा
19.	श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 36- परिवहन	2 घण्टे
20.	श्री जयभान सिंह पवैया, मंत्री	21- लोक सेवा प्रबंधन 44- उच्च शिक्षा	1 घण्टा
21.	श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री	68- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	30 मि.
22.	श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	47- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 15- तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1 घण्टा
23.	श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री (स्वतं प्रभार)	48- नर्मदा घाटी विकास 33- जनजातीय कार्य 49- अनुसूचित जाति कल्याण	1 घण्टा
24.	श्री शरद जैन (एडव्होकेट) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	52- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
25.	श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री (स्वतं प्रभार)	26- संस्कृति 37- पर्यटन	1 घण्टा
26.	श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री (स्वतं प्रभार)	35- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	30 मि.
27.	श्रीमती ललिता यादव, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	63- अल्पसंख्यक कल्याण 66- पिछड़ा वर्ग कल्याण 69- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	1 घण्टा

28.	श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	17- सहकारिता 42- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	1 घण्टा
29.	श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	30 मिनिट
30.	श्री बाल कृष्ण पाटीदार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	18- श्रम	1 घण्टा
31.	श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	38- आयुष 56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	1 घण्टा

समिति द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि दिनांक 13 मार्च से 23 मार्च, 2018 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाए और सभा की बैठकें सायं 6.30 बजे तक रखी जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सुन्दरलाल तिवारी, आरिफ अकील, सदस्यगण ने राज्य शासन द्वारा परिवार की परिभाषा बदले जाने से राज्य बीमारी सहायता का लाभ पात्र व्यक्तियों को न मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले की समूह जल प्रदाय योजना बानसुजारा से पेयजल व्यवस्था न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने वक्तव्य दिया.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(3) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(4) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(5) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(6) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(7) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(8) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(9) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)

(10) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)

(11) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)

(12) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)

(13) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)

(14) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)

(15) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)

(16) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)

(17) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)

(18) श्री संदीप जायसवाल (जिला-कटनी नगर)

(19) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)

(20) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)

(21) श्री शंकरलाल तिवारी (जिला-सतना)

(22) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)

(23) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)

(24) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)

(25) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)

(26) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)

(27) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)

(28) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)

(29) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)

(30) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(31) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)

(32) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)

(33) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)

(34) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)

(35) श्री रजनीश सिंह (जिला-भोपाल शहर)

(36) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)

(37) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)

(38) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)

(39) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)

(40) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)

10. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों हेतु योग प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय सदस्यों हेतु कल मंगलवार, दिनांक 13 से 15 मार्च 2018 तक प्रतिदिन प्रात: 7:00 बजे से 9.00 बजे तक एवं सांयकाल 7.30 बजे से विधायक विश्राम गृह खण्ड-2 स्थित सभा भवन में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें "हितयोग प्रशिक्षण संस्थान गुरूग्राम" की योग प्रशिक्षिका सुश्री हितांशी जैन द्वारा योग प्रशिक्षण दिया जायेगा. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यक्रम में सपरिवार सम्मिलित होकर लाभ लेने का कष्ट करें.

11. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (पूर्वानुबद्ध).

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2018 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर 9 मार्च, 2018 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(3) श्री के.पी. सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री के.के. श्रीवास्तव
(5) श्री बाला बच्चन
(6) डॉ. कैलाश जाटव

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(7) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान
(9) कुंवर सौरभ सिंह
(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(11) श्री गिरीश भण्डारी
(12) श्री पन्नालाल शाक्य

12. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

13. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमशः).

(13) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(14) श्रीमती शीला त्यागी
(15) श्री देवेन्द्र वर्मा
(16) श्री दिनेश राय
(17) श्री हरदीप सिंह डंग
(18) श्री दिलीप सिंह परिहार

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(19) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव
(20) श्री सुखेन्द्र सिंह
(21) श्री वेलसिंह भूरिया

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अपराह्न 6.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2018 (22 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 12 मार्च, 2018